न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्याः– 12/**2022** अपील (राजस्व)

श्री धर्मसिंह सुहालका पिता फतहलाल सुहालका, निवासी–403, भैरव अपार्टमेंट, हितावाला, गोगुन्दा हाउस, दैव्य मगरी, जिला उदयपुर

...........अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर राजस्थान
2. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

...........विपक्षीगण

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1110 दिनांक 01.09.2015 उपतहसीलदार बारापाल जिला उदयपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः 1. श्री इन्द्रविजय सिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री दिलीप कुमार सुथार अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–<u>14.11.2022</u>

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम बूझडा में साबिक आराजी संख्या 96 रकबा 3 बिस्वा हाल आराजी संख्या 633 रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि बाडे के प्रयोजनार्थ राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 98 के तहत दी गई तथा इसका पट्टा जारी करने का आदेश दिनांक 18.06.1979 को दिया गया। उक्त भूमि प्रार्थी को आंवटित थी एवं गैर खातेदारी दर्ज थी तथा पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी जा चुकी थी जिस पर प्रार्थी का उक्त भूमि पर स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जा होकर प्रार्थी की गाय, भैंस, बैल बंधते है एवं खेती के औजार बेलगाडी, हल व सिजारी निवास करते है। प्रार्थी के नाम पट्टा जारी करने की कार्यवाही राजकीय शिथिलता

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:06 IST
Reason: SelfAttested

के कारण लंबित रही। अभी प्रशासन गांवो के संग अभियान में अपने पट्टा जारी करवाने सम्बन्धित कार्यवाही को आगे बढाने के प्रयोजन से प्रार्थी ने पूर्ववर्ती दस्तावेजीकरण को प्रगति प्रदान करने के लिए कार्यवाही की तो उसे ज्ञात आया कि उपतहसीलदार गिर्वा ने प्रार्थी के भूमि को नगर विकास प्रन्यास के नाम अंकित कर दिया है तथा उपरोक्त वर्णित नामांतरकरण आदेश के अग्रेषण में उक्त कार्यवाही की है। उक्त नामान्तरण में यह अंकित है कि तहसीलदार गिर्वा के आदेशानुसार आबादी, नदी–नाला व विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्धित आराजीयात को छोडते हुए नामांतरण नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम किया जा रहा है, किन्तु अभिलेख पर कहीं भी इस प्रकार का कोई जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट नही है, जो यह प्रतीत करता हो कि इस प्रकार की जांच की गई है। कोई जांच की जाती तो अवश्य ही उक्त भूमि का पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही लंबित होने का अंकन अवश्य होता, लेकिन ऐसे अंकन का लोप ही स्वयं सिद्ध करता है कि कोई जांच नही की गई है। मात्र कार्यालय में बैठकर औपचारिकता की गई है। पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्बन्धी कई बार प्रार्थी द्वारा राजस्व अधिकारियों से आवेदन किया गया किन्तु पत्रावली गुम हो जाने अथवा तलाशना संभव नही होने का अंकन कर प्रार्थी को गोलमाल जवाब दिया जा रहा था इस प्रकार यह आराजीयात स्वयं में विवादग्रस्त थी तो उस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया जाना अपने आप में तात्विक त्रुटि को दर्शित करता है। दिनांक 08.06.1979 को ही उक्त भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी अंकित करने की स्वीकृति की जा चुकी थी एवं यह भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज होनी आवश्यक थी किन्तु राजस्व अधिकारियों की शिथिलता के कारण यह भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नही हो पाई। जानबूझ कर प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि का राजस्व अभिलेखों में अंकन नही करते हुए उसे पुनः बिलानाम ही रखा गया एवं बिलानाम भूमि का अंकन करते हुए यह सम्पत्ति नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम अंकित कर दी गई है जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:06 IST
Reason: SelfAttested

सर्वथा नैसर्गिक न्याय एवं विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 1110 दिनांकित 01.09.2015 जो दिनांक 15.09.2015 को उपतहसीलदार बारापाल द्वारा स्वीकृत किया जाकर प्रार्थी को आंवटित भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज करने का आदेश स्वीकृत किया गया, को अपास्त फरमाया जाए एवं वाद वर्णित भूमि प्रार्थी के नाम नाम नामान्तरण खोलने हेतु विपक्षीगण को निर्देशित फरमाया जावे।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अपने जवाब में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने निवेदन किया कि माननीय जिला कलक्टर महोदय उदयपुर द्वारा पारित आदेशानुसार बिलानाम जमीन को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के लिए दिए गए आदेश की पालना में माननीय उपतहसीलदार बारापाल द्वारा उक्त विवादित भूमि को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के लिए नामान्तरकरण संख्या 1110 दिनांक 01.09.2015 को इन्द्राज किया गया। उस समय उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड अनुसार बिलानाम जमीन होने से माननीय जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के आदेशानुसार बिलानाम जमीने जो नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के परिक्षेत्र में होने से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश का मात्र पालन किया गया है। अपीलाण्ट को नामान्तरण आदेश संख्या 1110 दिनांक 01.09.2015 की जानकारी शुरू से ही थी पर अपीलाण्ट द्वारा जानबूझकर यह अपील देरी से पेश की गई है जिसका कोई युक्तियुक्त कारण आप न्यायालय में नही बताया गया है इसलिये इसे सव्यय खारिज फरमाई जावे। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह अंकित किया है कि 18.06.1979 को विवादित भूमि अपीलार्थी के नाम गैर खातेदारी अंकित करने की स्वीकृति की जा चुकी है तथा इस वजह से अपीलार्थी उक्त गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:06 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी अंकित भूमि अपने नाम पर क्यों नही खातेदारी भूमि अंकित करवा पाया उसका स्पष्ट कारण नही बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही गैर खातेदारी भूमि से खातेदारी भूमि हेतु विचाराधीन थी या नही इसका स्पष्ट नही किया है और यदि कोई कार्यवाही नही चल रही थी तो अपीलार्थी इतने वर्षो से क्या कर रहा था क्यो नही अपीलार्थी ने अपने नाम पर गैर खातेदारी भूमि से खातेदारी भूमि में कराने की कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

विद्वान अधिवक्ता राज्य द्वारा उपस्थित होकर अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी से बाड़ा हेतु आवंटित भूमि को बिलानाम घोषित नहीं किया हैं। कार्यालय जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक प. 12/3(3) राज/परिपत्र/ 07/1144 दिनांक 26.02.07 की अनुपालना में गैरखातेदारी हक का निरस्त किया गया हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के तहत ऐसी आवंटित भूमियो को किसी भी हालत में आवंटी के नाम खातेदारी या गैर खातेदारी हक से दर्ज नहीं किया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही वैधानिक हैं। अतः अपील अपीलान्ट को इसी स्तर पर खारीज फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी को बाड़े हेतु राजस्व ग्राम बुजड़ा के आराजी संख्या 96 में 3 बिस्वा भूमि बाड़ा आवंटित की गई, जिसका नामान्तरकरण संख्या 548 से जमाबन्दी संवत 2039 से 2043 में अंकन हुआ, परन्तु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के अंतर्गत किया गया उक्त आवंटन अस्थायी तौर पर होता हैं। जिसे सरकार को आवश्यकता होती है तब पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:06 IST
Reason: SelfAttested

बिना मुआवजे के ले सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बारापाल द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश क्रमांक परि./हस्ता./09/5184–93 दिनांक 30.06.2015 की अनुपालना में एवं तहसीलदार गिर्वा के आदेश क्रमांक 846–65 दिनांक 03.08.2015 के क्रम में नामान्तरकरण स्वीकृत किया हैं। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी प्रतीत नहीं होती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:06 IST
Reason: SelfAttested